सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषयः– **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड किनारे प्लॉट 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द की(किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 3062/FP/UK/ Others/ 40044/ 2019:देहरादूनःदिनांक 22 जून,2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियां उपबिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र.सं	EDS	आपत्ति का निराकरण/आख्या
1	प्रश्नगत लीज 1975 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 30 वर्षों की लीज पर दी गई थी, जो वर्ष 2005 में समाप्त हो चुकी है, जिसका वर्ष 2005–6 में लीज नवीनीकरण किया जाना था, जो कि आतिथि तक नहीं किया गया। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु मेरे द्वारा वर्ष 2005 से पहले से ही लीज के नवीनीकरण की कार्यवाही की गई थी, किन्तु मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि कतिपय प्रक्रिया में बदलाव के कारण नवीनीकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जा रहा है। उसके बाद भी कई बार प्रक्रिया में बदलाव हुआ और हर बार हमें प्रक्रिया पुनः शुरू करनी पड़ी। वर्तमान में प्रक्रिया ऑन लाईन कर दी गयी, जिसके तहत मैंने पुनः नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है जो कि 2019 से प्रक्रिया में है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–637/(1)14–2–578/74 वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तों के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, किन्तु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प ही संचालित हो रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा बेरोजगार इंन्जीनियरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को खुलवाया गया था जिसके तहत सरकार द्वारा यह जमीन लीज में उपलब्ध कराई गई थी। परन्तु इस स्कीम के असफल होने के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा समिति बनाई गयी जिसने असफलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इनके पुनर्वास की अनुशंसा की गई थी। तब भारत सरकार ने तत्कालीन लोकसभा में इन इंन्जीनियरों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री की सहमति से प्रभावित इंन्जीनियरों को पेट्रो

		प्रोडक्ट की पेट्रोल पम्प की डीलरशिप देने आदि के लिए साक्षात्कार के द्वारा आबंटन दिया गया। (जिसकी सभी छाया प्रतियॉ उक्त पत्रोतर में संलग्नित की गई थी)। सरकार द्वारा इसे बीमार यूनिट मान लेने के कारण सरकार द्वारा एग्रो(कृषि सेवा केन्द्र) का संचालन बन्द कर दिया गया था तथा पेट्रोल पम्प संचालन की सस्तुति की गई थी और इसी आशय से वन विभाग से अनुमति ली गई थी।
3	क्या लीज धारक द्वारा लीज स्वीकृति आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन पूर्ण किया गया है	प्रपत्र 29 पुनः संलग्न है।
4	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 की बिन्दु संख्या–9 में अधिनियम, का उल्लंघन न होने की सूचना अंकित की गयी है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें कि लीज अवधि समाप्त हुये 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लीज धारक द्वारा अभी तक पूर्व में कथित प्रयोजन हेतु लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण नहीं किया गया है तथा वन भूमि पर काबिज है। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। स्थति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–5.5 के उप बिन्दु (a) व (b) पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
6	प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत लीज आरक्षित वन भूमि में दी गयी है किन्तु प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 11.1 के लैण्ड शैड्यूल जो कि राजस्व विभाग व अन्य से सम्बन्धित है में भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।

7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–19 के अनुसार प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से 0.5 किमी0की दूरी पर स्थिति है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित) तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	संशोधित दस्तावेज संलग्न है।
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–25 में उल्लेख किया गया है कि कृषि सेवा केन्द्र का ले–आउट प्लान/मदवार विवरण संलग्न है का उल्लेख किया गया हे जो कि नहीं किया गया है। लीज पर दी गयी वन भूमि पर किये गये निर्माण से सम्बन्धित कार्य का ले–आउट प्लान/मानचित्र मदवार विवरण सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।	दस्तावेज संलग्न हैं।
10	एन0पी0वी0का निर्धारण नई दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करे।	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
11	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–46 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।

भवदीय,

For- Agro Services & Filling Centre

Proprietor

(हरीश चन्द्र घिल्डियाल)

एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर,

रानीखेत रोड, रामनगर, नैनीताल।

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को 0.025 है0 वन भूमि कृषि सेवा केन्द्र के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 1963/14–2–78/74 दिनांक 3.7.1975 के द्वारा 30 वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी थी। उक्त प्रस्तावित वन भूमि कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी लगभग 300M है, परन्तु उक्त वन भूमि नगरपालिका रामनगर के भीतर स्थित होने एवं आबादी से लगी होने के कारण यहाँ वन्यजीवों का आवागमन नहीं होता है। प्रस्तावित वन भूमि आबादी से लगी होने के कारण अतिक्रमण की दृष्टि से भी संवेदनशील है। प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन के लिए किये जाने से वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त कारणों से लीज नवीनीकरण की संस्तुति की जाती है।

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

प्रपत्र–11.1

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट सं0 8 व 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम वन पंचायत एवं नाम भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये(राजस्व विभाग / जिलाधिकारी द्वारा) निर्धारित प्रपत्र।

भूमि की श्रेणीः–

जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है0)
नैनीताल	रामनगर	रामनगर					

ह0 / –
For- Agro Services & Filling Centre
Proprietor
प्रयोक्त एजेन्सी

ह0 / –
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल

नोटः– उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग–अलग प्रपत्र भरा जाना है।

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम– नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट–8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी ....

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

जिला स्तरीय समिति।

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर के लीज नवीनीकरण हेतु (0.025 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.025 है0 वन भूमि) का श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर निवासी के पक्ष में लीज नवीनीकरण किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील–रामनगर) की दिनांक 30.09.2022 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी, नैनीताल, अध्यक्ष। (जिलाधिकारी नैनीताल)

2– श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर, सदस्य। (प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)

3– श्री जयवीन्द्र सिंह, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य। (सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड-रामनगर (नैनीताल))

4– श्री मौ0 अकरम, क्षेत्र पंचायत सदस्य। / नगर पालिका अध्यक्ष (मो0 अकरम) अध्यक्ष नगरपालिका परिषद

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त लीज नवीनीकरण हेतु 0.025 है0 वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर के पक्ष में लीज नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गय। ग्राम सभा के

अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर वन प्रभाग में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर के लीज नवीनीकरण हेतु 0.025 है0 आरक्षित वन क्षेत्र के वन भूमि लीज हस्तान्तरण हेतु वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर निवासी को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रामनगर, नैनीताल।

जिलाधिकारी नैनीताल

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रामनगर, नैनीताल।

जिलाधिकारी नैनीताल

परियोजना का नाम– नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट–8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Annexure-II

Form-II

(For projects other then liner projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector of Nainital(U.K)

No. .... Date ....

TO WHOSEOEVER IT MAY CONCERN

In complacence of the ministry of Environment and forest(MoEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of Forest right) act 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes it is certified that 0.025 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर in Nainital District falls within jurisdiction of Ramnagar tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.025 hectares forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam(s), Sub-Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3

(b) The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have give their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificated issued by the Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have giving their consent to it:

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and office of the district Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल

परियोजना का नाम– नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट–8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Office of the deputy commissioner

District-Nainital(U.K.)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act(FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district constituted under FRA, 2006 was held under
Chairmanship of Mr. Dheeraj Singh garbyal IAS Deputy commissioner Nainital on dated .... time .... at Nainital in which application calming right in 0.025 Hectares for श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, रामनगर निवासी के Agro Service & Filing Center(Petrol Pump) के लीज नवीनीकरण Ramnagar Forest land under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the sub division level committee of .... Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the document and detailed discussion no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommended the above cases diversion of land for the said purpose.

Date ....

Place ....

Deputy Commissioner cum Chairman
District level Committee
जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र–29

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लाट सं0 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मानक शर्ते

मानक शर्तो का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वन पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जान सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछंन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित

पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्व है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का पातन अनिवार्य प्रतीत होत है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटटीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तो का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

For Agro Services & Pilling Center

ह0/– [signature]

प्रयोक्ता एजेन्सी

Proprietor

नोटः– उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

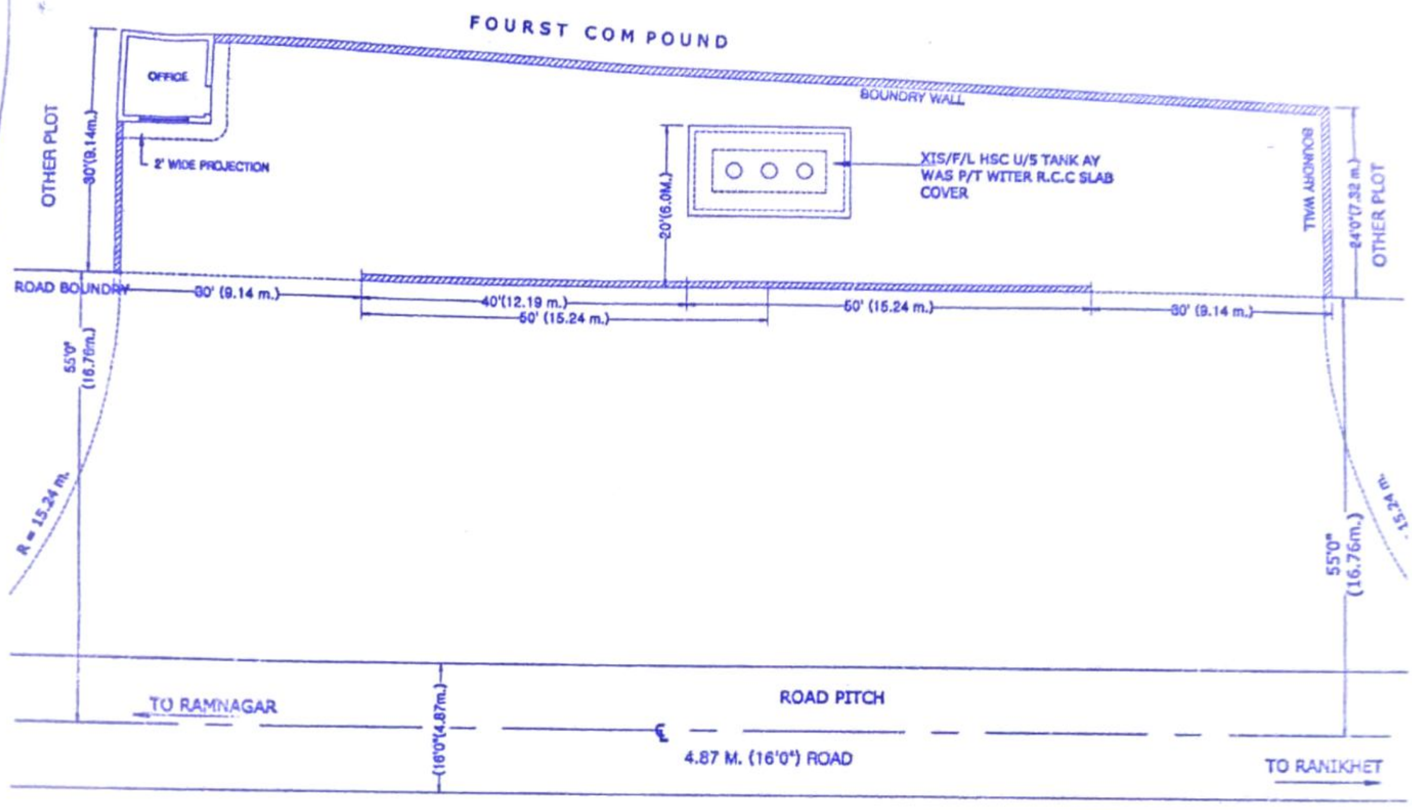

SITE PLAN (Agro Services and Filling Center)

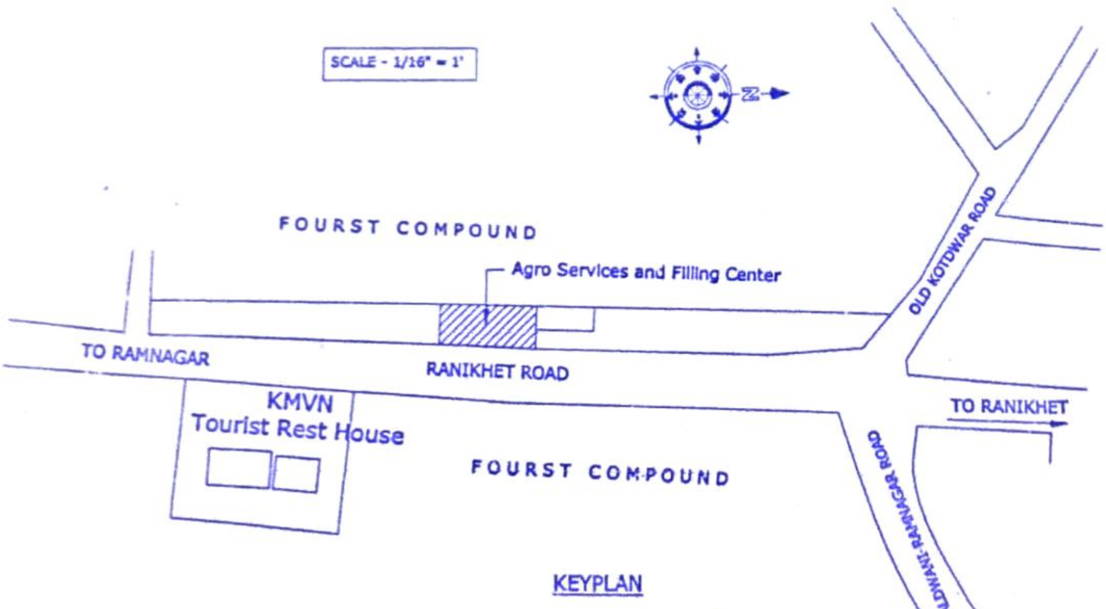

KEYPLAN

INDIAN OIL CORPORATION LTD.
(MARKEYING DIVISION)
SUBJECT :-
FILLING STATION ON RAMNAGAR-RANIKHET ROAD AT RAMNAGAR
APPROVED :-

12

(B) (1)

10.87

Wednesday

(9) Pagess

REVISED DRAFT SCHEME FOR REHABILITATION OF SICK AGRO SERVICE CENTRES

(2)

3 c

INDEX

			Page Number
1.	Name of the Scheme	:	1
2.	Objective of the Scheme	:	1
3.	Eligibility Criteria	:	1
4.	Components of the Scheme	:	
	4.1 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to non viable Agro Service Centres which can not be Rehabilitated.	:	2
	4.2 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.	:	5
	4.3 Other assistance to be extended to identified sick agro service centres	:	6
5.	Implementation procedure	:	7

1. Name of the Scheme : Rehabilitation of Sick Agro Service Centres (ASCs).

2. Objective of the Scheme : The Scheme aims at rehabilitation/revival of the identified sick Agro Service Centres set up under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme which was operated through Agro Industries Corporations at the State Level during the period 1971 to 1979 and later transferred to State sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.

3. Eligibility Criteria

3.1: The Scheme will be confined to ASCs which were opened under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme launched in Dec., 1971 and later transferred to State Sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.

3.2 ASCs whose owners have not migrated out of the country.

3.3 The agro-entrepreneurs who have taken up alternative employment, may also be considered for assistance, provided the units are found viable and the entrepreneurs agree to run the units themselve.

3.4 The agro-entrepreneurs who have sold their assests will not be considered eligible for any assistance under the scheme.

3.5 Agro-Entrepreneurs who have been wilful defaulters in the past will not be eligible for any assistance under the Scheme.

4. Components of the Scheme : Under the Scheme, the agro-entrepreneurs will be provided reliefs and concessions on the following pattern.

4.1 [illegible] to be taken [illegible] ect of non-viable Agro Service [illegible] which [illegible] be rehabilitated

4.1.1 Bank will consider each case on merits and the normal steps for the recovery of bank dues will be initiated.

....2/-

4.2 **Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial Institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.**

4.2.1 Penal interest and funded interest : If penal rates of interest or damages have been charged such charges should be waived from the accounting year of the unit in which it started incurring cash losses continuously. After this is done, the unpaid interest on term loans and cash credit during this period should be segregated from the total liability and funded. No interest may be charged on funded interest and repayment of such funded interest shall be payable in 5 years from the date of [illegible] of implementation of the rehabilitation programme.

4.2.2 Unadjusted interest dues : Unadjusted interest dues such as interest charged between the date upto which rehabilitation package was prepared and the date from which actually implemented, may also be funded on the same terms at 4.2.1 above.

4.2.3 Term loans : The rate of interest on term loans may be reduced, where considered necessary, by not more than three percent, the reduced rates in no case being less than the rate of interest charged under Integrated Rural Development Programme (IRDP).

4.2.4 **Principal dues** : After the unadjusted interest portion of the cash credit account [illegible] segregated as [illegible] 4.2.1 and 4.2.2 above, the [illegible] representing principal dues may be

treated as irregular to the extent it exceeds drawing power. This amount may be funded as Working Capital Term Loan (WCTL) with a repayment schedule not exceeding 5 years. Interest may be charged on this funded loan at 10 percent per annum.

4.2.5 Cash Losses

Cash losses are likely to be incurred in the initial stages of the rehabilitation programme till the unit reaches the break even level. Such cash losses excluding interest as may be incurred during the nursing programme may also be financed by the bank or the financial institution, if only one of them is the financier. But if both are involved in the rehabilitation package, the financial institution concerned should finance such cash losses Interest may be charged on the funded amount at the rates prescribed by IDBI under its scheme for rehabilitation assistance.

4.2.6 Working Capital

Need-based working capital should be sanctioned to the unit to enable it to carry on its operations, with interest at the minimum of the band of the prescribed interest rates during the rehabilitation period. Where the minimum of the band exceeds 15% (as for instance in the case of working capital assistance in excess of Rs.25 lakhs, where it is 16.5%), the rate may be fixed at 15% per annum.

4.2.7 Contingency loan assistance

For meeting escalations in capital expenditure to be incurred under the rehabilitation programme, banks/financial Institutions may provide, where considered necessary, appropriate additional financial assistance upto 15% of the estimated cost of rehabilitation by way of contigency loan assistance. Interest on this contigency assistance may be charged at the concessional rate allowed for working capital assistance.

4.2.8. Funds for start-up expenses and margin for working capital

There may be a need to provide the unit under rehabilitation with funds for start-up expenses (including payment of pressing creditors) or margin..

money for working capital in the form of long-term loans. Where a financial Institution is not involved, banks may provide the loan for start-up expenses, while margin money assistance should be provided by State Government where it is operating a margin money scheme. The term loan from banks will carry the same rates as the existing term loans.

4.2.9 Guarantee fee

The guarantee fee payable to Deposit Insurance and Credit Gurantee Corporation (DICGC) in respect of sick agro-service Centres Units should be borne by the Banks/Financial Institutions during the period of rehabilitation programme.

4.3 Other assistance to be extended to identified sick agro service centres.

4.3.1 Accommodations

State Governments will consider requirements of agro-entrepreneurs on case to case basis, for allotment of suitable accommodation at nominal charge, if such a measure has been recommended by District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the sick agro service centre concerned.

4.3.2 Agriculture Inputs Distribution :

State Governments and State Agro-Industries Corporations will accord priority to the identified sick agro service centres in matters of giving agencies for input distribution, if such measure, has been recommended by the District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the agro service centre concerned. States may consider adopting the Maharashtra pattern in this regard. States may also designate ASCs as approved outlets for items in which cooperative do not deal in.

contd...5/-

4.5 Pending claims of Interest subsidy

State Governments will be requested to process and make payment of pending interest subsidy claims, if any, of the agro enterpreneurs in accordance with the provisions of the agro service centres scheme transferred to States w.e.f. 1.4.79 in persuance to the decision of National Development Council.

Implementation procedure.

5.1 The State AICs will be responsible for identification of eligible agro service centres as per the eligibility criterial as in para 3 above. After the approval of the rehabilitation scheme by Supreme Court of India, the Agro-Entrepreneurs shall submit their applications alongwith rehabilitation proposal for consideration to the concern State Agro Industries Corporation within 90days of the order of the Supreme Court. The State Agro Industries Corporation will scrutinise the applications received, within a period of 30 days from the date of its receipt and forward the same to the District Level Appraisal Committee(DLAC).

5.2 Rehabilitation proposal as in 5.1 above will be considered by the District Level Appraisal Committee constituted as under

(i) Distt. Collector -Chairman.
(ii) One representative of Lead Bank. -Member
(iii) One representative of Creditor Bank. -Member
(iv) Representative of the Managing Director of State Agro Industries Corporations. -Member-Secretary.

The proposals for rehabilitation considered viable will be recommended by the DLAC to the concerned bank for [illegible]. Proposals

for rehabilitation not considered viable shall be rejected by the DLAC and the dues of the Bank/Financial Institution shall be recovered in such instalments as may be decided by the Bank/Financial Institution on merits of each case.

The DLAC will also review the progress of each case on quarterly basis and submit the report to the Chairman of the Task Force.

.3 For monitoring and periodical review of the progress and removal of constraints etc, a Task Force will be set up in each of the concerned State as under:-

i)	Secretary(Agri.)	: Chairman
ii)	One Representative of Lending Bank	: Member
iii)	One representative of Reserve Bank of India.	: Member
iv)	One representative of NABARD	: Member
v)	One representative of small Industries Service Institute	: Member
vi)	Two representatives of agro-entrepreneurs.	: Member
vii)	Managing Director of State Agro Industries Corporation.	: Member Secretary

The representative of the agro-entrepreneurs will be selected in a meeting of agro entrepreneurs, financed under the [illegible] Scheme of Agro Service Centres, held by the State Agro Industries Corporation under the Chairmanship of the Managing Director of the Corporation.

contd....7/-

The Task Force would periodically review and monitor the progress of the scheme and submit a quarterly report to the Government of India in the Ministry of Agriculture.

5.4 5.4 A National Level Committee to review and monitor the progress of rehabilitation scheme shall be constituted. This Committee shall consist of representatives of all concerned Ministries of Government of India, RBI, IBA, all concerned Commercial Banks, State Governments, SAICs and two representatives of National Federation of Agro Entrepreneurs.

The delay in implementation of the Scheme will be reviewed by District Level Committee periodically. One of the factors contributing to such delays could be time taken for obtaining clearance to the reliefs and concessions. The banks and the financial institutions will delegate sufficient powers to senior officers at various levels such as district, divisional, regional, zonal and also at head office to sanction the banks or the financial institutions commitment to its share in the rehabilitation proposal drawn up in conformity with the Scheme approved by the Supreme Court of India and the prescribed guidelines/Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1238
TO BE ANSWERED ON THE 1ST MARCH, 1982
DECLINE OF AGRO-SERVICE CENTRES

1238. SHRI B.D. SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of agro-service centres in the country are in a bad shape and that more than 500 such centres have been closed down while many are on the verge of bankruptcy; and

(b) if so, details thereof stating the reasons therefor and the steps taken by Government to improve the situation?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI R.V. SWAMINATHAN)

(a) As per the survey conducted by the Central Govt. Training Centres at Budni and Hissar in the year 1977 covering the States of Assam, Bihar, Haryana, J & K, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, 75% of the agro-service centres were operating on profit and 25% alone as not doing well. Subsequent survey carried out by the Tractor Training Centre, Hissar in 1978 revealed that 67.5 % agro-service centres on an average were running on profit whereas 19.8% were working on loss. The remaining 12.7% did not report their financial benefits. As on 21st March, 1981 506 out of 3206 centres(i.e. 15.8%) have closed down. The Government, however, have no information to lead to the conclusion that many of these centres are on the verge of bankruptcy.

(b) Details:- State-wise position of break-up of 508 centres reported to have been closed is given in annexure.

Reasons for the failure :

As per the survey carried out in 1977 the reasons for failure of closing down of some of these centres was low work turn-over because of their being engaged only in the activity of custom hiring in tractors accompanied by competition from tractor- owning farmers, escalation in the operational cost of these machines due to hike in the prices of diesel and other lubricants and other raw materials, high cost of these machines, escalation in the cost of repair and maintenance, non-maintenance of proper records about their working, lack of requisite efforts on the part of entrepreneurs to improve their performance etc.

Steps taken by the Government to improve the situation :-

The steps taken by the Government to improve performance and financial viability of these centres are details below :-

i) These agro-service centres were given priority allotment of tractors both indigenous and imported.

ii) The RBI on our initiative have extended the benefits of concessional rate of interest to these agro- service centres on par with small scale industries and credit guarantee cover.

Contd P.O.

3 Pages

(2)

iii) At various stages seminars and meetings [illegible] the performance of these centres wherein [illegible] advised to diversify their business on commercial [illegible] as per the local demands and not confine [illegible] hiring of tractors alone.

iv) The Ministry of Finance advised the RBI to [illegible] to the nationalised banks to rephase the payment [illegible] instalments of bank loans taken by them wherever [illegible]

v) On transfer of the scheme to the State [illegible] the States were directed to honour the commitments [illegible] transfer and to extend such other necessary help as [illegible] required for running them on viable basis.

vi) Minister of State for Agriculture addressed the [illegible] Ministers concerned to take such steps as would be [illegible] strengthening these centres, including expenditures [illegible] the claims of these agro-service entrepreneurs [illegible] subsidy.

vii) Minister(A, RD& CS) once again addressed the Chief [illegible] of the States to take action to disburse the interest [illegible] these entrepreneurs urgently, to route the distribution [illegible] agricultural inputs in the areas where these centres [illegible] through them to help them in getting custom hiring [illegible] in the various schemes implemented by the State Govt. [illegible] their various programmes including programmes of [illegible] and command area development. Simultaneously he addressed the Union Finance Minister of instruct the Commercial Banks [illegible] interest charges on loans advanced to these centres and [illegible] the payment of principle amount. Union Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers was also addressed by him to consider the case of these centres for allotment of [illegible] petrol and petro-based lubricants.

Note:- <u>AT THE SUPREME COURT</u> : The Agriculture [illegible] in the Parliament, but not in the Supreme Court [illegible] say that the Government may not submit a report [illegible] means that our case may be posted for arguments [illegible] the latest counter by SBI in Maharashtra Writ [illegible] formidable one against us. Sri Nariman [illegible] to file such counters even in previous writs [illegible] asked for Petitioner-wise/ Writ-wise/ State-wise [illegible] So please send your latest full information

***